वर्ष 5, अंक-12, अप्रैल-जून, 2023

उ. म. शि. अनु. संस्थान
पटना

उद्योग संवाद

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

बिहार

बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023

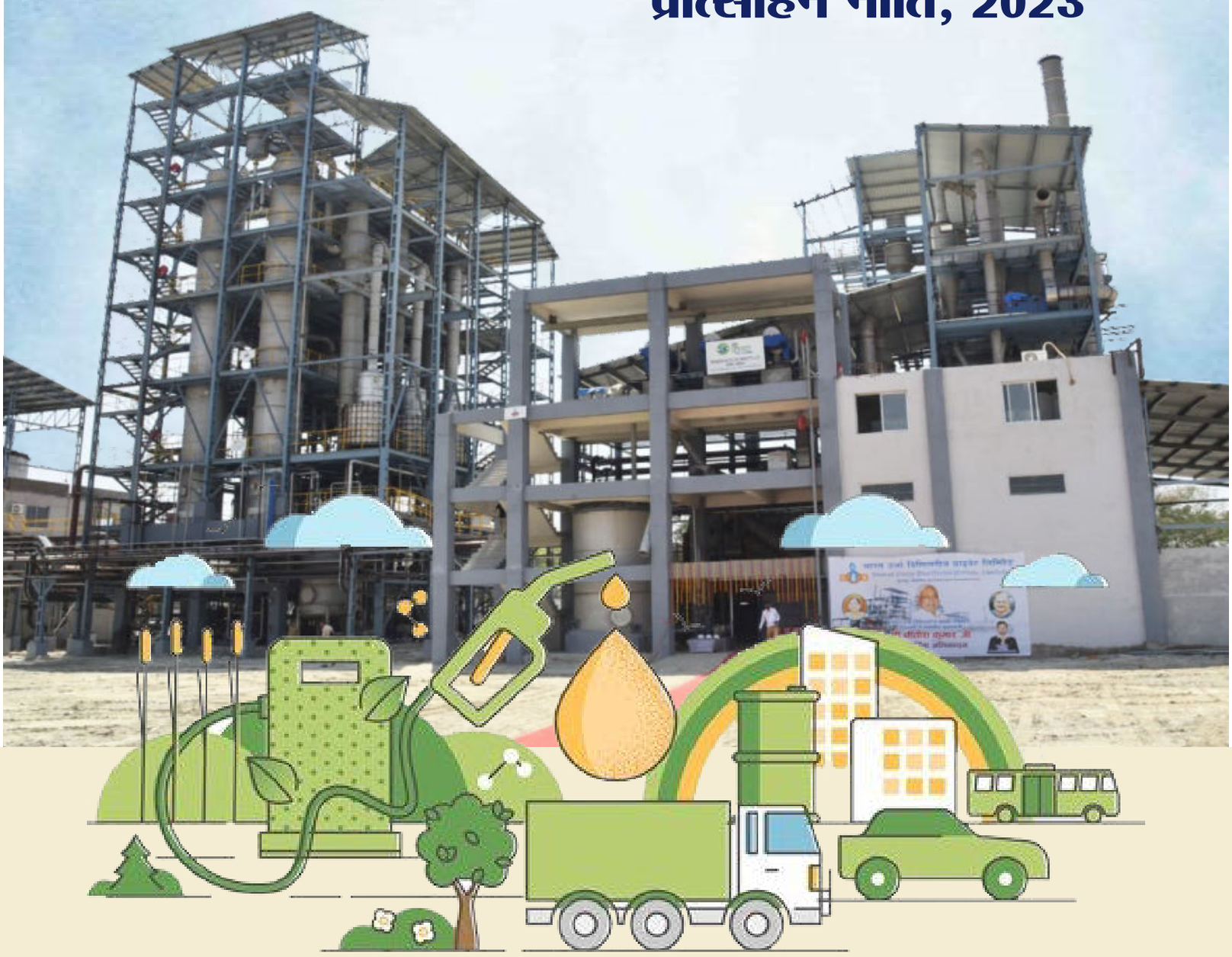

वर्ष 5, अंक-12, अप्रैल-जून, 2023

विषय सूची

उद्योग संवाद
त्रैमासिक

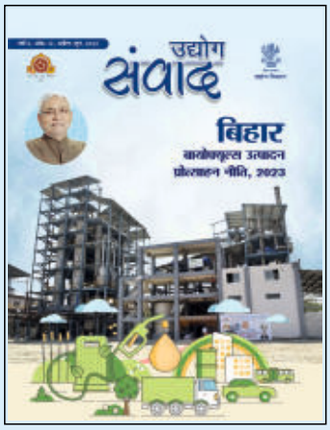

संरक्षक :
समीर कुमार महासेठ
उद्योग मंत्री, बिहार

प्रधान संपादक :
संदीप पौण्डरीक
अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

प्रबंध संपादक :
विवेक रंजन मैत्रेय
निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान

संपादक :
दिलीप कुमार
विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

संपादकीय संपर्क :
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान
पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 013
E-mail : udyogsamvadbihar@gmail.com

प्रिन्ट प्रोडक्शन
ज्ञान गंगा क्रियेशन्स

- मोतीपुर में चालू हुआ इथेनॉल प्लांट 01
- मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर 03
- मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन 05
- बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 06
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 का अवधि विस्तार 10
- बिहार के 13 करोड़ लोग एक साथ मिलकर राज्य के औद्योगिक वातावरण के निर्माण के लिए आगे आएं : समीर महासेठ 11
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमई कनेक्ट 12
- आइए, देखिए, जानिए, समझिए? फिर उद्योग लगाइए 14
- उद्योगों के विकास में जिलाधिकारियों की भूमिका पर कार्यशाला 15
- एमएसएमई कनेक्ट 2023 17
- हाउस ऑफ मैथिली : संस्कृति भी, रोजगार भी 18
- आईआईटी, पटना करेगा, बिहार के दूसरे बी हब का संचालन 19
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को दिये गये 52 करोड़ रूपये 20
- बिहार में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : विकास आयुक्त 22
- कोलकाता इन्वेस्टर्स मीट : बिहार में आकर्षक निवेश सुविधा उपलब्ध 23
- बिहार क्राफ्ट फेयर : अहमदाबाद में दिखी बिहार के हस्तशिल्प कला की चमक 24
- खादी मेला-सह-उद्यमी बाजार : तीन मेलों से मिला खादी संस्थाओं को बल 25
- समर कैम्प : बिहार की लोक कलाओं के उस्ताद बने बच्चे 27
- सक्सेस स्टोरी 28
- बोलती तस्वीरें 29

इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के हैं
इससे विभाग व सम्पादक-मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मोतीपुर में चालू हुआ इथेनॉल प्लांट

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है सतत् प्रयास

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 06 अप्रैल 2023 को मोतीपुर में भारत ऊर्जा डिस्टिलरिज प्रा. लि. के इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। यह नयी तकनीक पर आधारित ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल डिस्टिलरिज है। जिसकी निर्माण पर करीब 152 करोड़ रूपये का खर्च हुआ।

बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 17 इथेनॉल उत्पादन इकाइयाँ बिहार में स्थापित की जा रही है जिनमें भारत ऊर्जा डिस्टिलरिज प्रा.लि. एक है जो बियाडा के मुजफ्फरपुर जिला स्थित मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया गया है। यह नयी तकनीक पर आधारित ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल डिस्टिलरिज है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 06 अप्रैल 2023 को मोतीपुर स्थित इस इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए वर्ष 2007 से ही राज्य सरकार से कानून बनाकर केन्द्र को भेजा था और बिहार इथेनॉल प्लांट लगाने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय दूसरे राज्यों से लोगों ने यहां आकर उद्योग स्थापित करने में अपनी अभिरूचि दिखायी थी। उनलोगों की तरफ से लगभग 31 हजार करोड़ रूपये निवेश करने की इच्छा प्रकट की गयी थी। गन्ना से इथेनॉल बनता तो यह बड़ी बात होती लेकिन उस समय की केन्द्र सरकार ने हमलोगों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। केन्द्र ने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि गन्ने से चीनी उत्पादन आवश्यक है इसलिए इथेनॉल बनाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। वर्ष 2020 में केन्द्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन से संबंधित नई पॉलिसी बनायी, तब हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाने से संबंधित वर्ष 2007 एवं उसके बाद जितने भी प्रयास किये गये, उन तमाम चीजों से उन्हें अवगत कराया। इस संबंध में जो पत्र लिखे गये थे, उसकी भी हमने जानकारी दी। हमलोगों ने कहा कि गन्ना, मक्का और टूटे हुए चावल से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। हमने बताया कि काफी पहले ही इथेनॉल प्लांट लगाने की हमारी इच्छा थी। दूसरे लोग यहां आने की हिम्मत नहीं करते। हमने लोगों से बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव मांगा, तब हमें 152 प्रस्ताव प्राप्त हुए लेकिन केन्द्र सरकार ने सिर्फ 17 प्रस्तावों को ही अपनी मंजूरी दी। पूर्णिया, गोपालगंज और भोजपुर सहित बिहार में 15 जगहों पर इथेनॉल प्लांट लगाने का काम चल रहा है। यहां पर काफी अच्छा काम हुआ है। आज इसकी शुरूआत भी हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में चार जगहों पर इथेनॉल प्लांट लगने हैं, जिसमें से एक जगह काम पूरा हो गया और अन्य जगहों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। शेष 11 जगहों पर भी काम किये जा रहे हैं। हमलोग एक-एक चीज को ध्यान में रखते हुए बिहार में विकास के काम कर रहे हैं। सितम्बर 2022 में भी हमने यहां आकर निर्माणाधीन प्लांट को देखा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्रा.लि. का यह इथेनॉल प्लांट 23 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लागत 152 करोड़ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किये गये हैं। उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा काफी सहूलियतें दी जा रही है। हर धर्म, सम्प्रदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिहार में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो, इसको लेकर बियाडा की जमीन 80 प्रतिशत रियायत पर उद्यमियों को दी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोगों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रूपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार दे रही है ताकि वे अपना उद्योग स्थापित कर सकें। इसमें 5 लाख रूपये का अनुदान और 5 लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के लागों को 5 लाख रूपये का अनुदान 5 लाख रूपये का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। हर वर्ग की महिलाओं को 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2018 में उद्यमी योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों का मिलता था। वर्ष 2020 में इसे अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी शुरू कर दिया गया। उसके बाद सभी धर्म, समुदाय से जुड़े लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। जीविका समूह से 1 करोड़ 30 लाख दीदीयां जुड़ गई हैं। लड़कियों को पढ़ाने एवं आगे बढ़ाने के लिए साईकिल योजना के साथ-साथ अन्य योजनाएँ भी चलायी जा रही है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया। बिहार एक गरीब राज्य है लेकिन हमारा आर्थिक विकास दर कई राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 54 हजार 383 रूपये है, जबकि देश का 1 लाख 50 हजार रूपये है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो बिहार काफी आगे बढ़ता। इसके लिए भी आप सभी कोशिश करिए ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। बिहार को इथेनॉल प्लांट लगाने का अधिक से अधिक मौका मिले, इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्रा.लि. के निदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि आपसे लोग प्रेरित होकर और अधिक लगन से काम करें। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री-सह-मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जितेन्द्र कुमार राय, विधान पार्षद-सह-पूर्व उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन, विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह, भारत ऊजा डिस्टिलरीज प्रा.लि. की निदेशक सुश्री कोमल सिंह एवं श्री शुभम सिंह, सांसद श्रीमती वीणा देवी, विधायक श्री पंकज मिश्रा, विधायक श्री राजू सिंह, विधायक श्री अरूण सिंह, पूर्व मंत्री श्री मनोज कुशवाहा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल श्री गोपाल मीणा, तिरहुत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री पंकज सिन्हा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार, मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार आदि भी मौजूद रहे। ◉

मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर

कर्मचारियों की सुविधा के लिए खुला जीविका दीदी की रसोई

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 06 अप्रैल 2023 को मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग कलस्टर का भ्रमण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान बैग कलस्टर में निर्मित सामग्रियों की निर्माण प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। भ्रमण के क्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने बैग उत्पादन इकाई की प्रगति एवं चल रही गतिविधियों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत रूप से जानकारी दी। भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मेसर्स सोनी बैग निर्माण, मेसर्स कविता बैग निर्माण, मेसर्स राधा बैग निर्माण, मेसर्स कांति बैग निर्माण, मेसर्स अंजू बैग निर्माण सहित अन्य बैग उत्पादन इकाइयों का जायजा लिया। इस दौरान महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण स्थिति काफी बिगड़ गयी थी। अब धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। बैग उत्पादन इकाई में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां काम कर रही हैं। इससे उनके परिवार में खुशहाली आयी है। जीविका समूह और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की ये देन है कि बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं अपना उद्योग स्थापित करने में सफल हुई हैं। यह संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। राज्य सरकार की तरफ से उद्यमियों को हरसंभव सहयोग मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैग कलस्टर में किसी तरह की परेशानी न हो, हर प्रकार से इन्हें अधिक से अधिक सहूलियत मिले, इसके प्रति सजग रहें। यहां काफी अच्छा काम हो रहा है। 6 माह पहले भी हम यहां आए थे। आज फिर हमने आकर देखा है। काफी बढ़िया काम हो रहा है। लोगों को यहां तरह-तरह के रोजगार मिल रहे हैं। बिहार में जीविका समूह से अबतक 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो किसी न किसी काम को अंजाम दे रही हैं। यहां जो भी दिक्कतें संज्ञान में आये, उसे तत्काल दूर करें।

महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं बैग भेंटकर उनका अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण से संबंधित सांकेतिक चेक मुख्यमंत्री ने लाभुकों को प्रदान किया।

बैग कलस्टर, औद्योगिक क्षेत्र बेला में जीविका दीदियों द्वारा संचालित जीविका दीदी की रसोई एवं पालनाघर के शिलापट्ट का अनावरण किया तथा फीता काटकर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया।

शुभारंभ के पश्चात् मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी की रसोई एवं पालनाघर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने चिकित्सा कक्ष, रसोई घर, भोजन कक्ष आदि का जायजा लिया और पालनाघर में छोटे-छोटे बच्चों को खेल-खेल में दी जा रही शिक्षा का भी अवलोकन किया। वहां पढ़ रहे बच्चों और शिक्षिकाओं से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, इन्हें बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान करें ताकि वे बड़े होकर राज्य और देश को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा सके।

उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि मुजफ्फरपुर का बैग कलस्टर बिहार को औद्योगिक मैप पर स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर का मॉडल अप्रतिम है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में स्थापित युनिट की सहायता के लिए जीविका दीदियों को लगाया गया है। सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदियाँ मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर में काम कर रही हैं

जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। मुजफ्फरपरु बैग कलस्टर में चालीस जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्वतंत्र बैग युनिट स्थापित करने के लिए मदद प्रदान की गयी है। इसी तरह इस कलस्टर में काम करने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जीविका दीदियों को मीनी बस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से समाज के हर वर्ग के लोगों को मजबूती मिल रही है। अबतक 29 हजार से अधिक लोगों को इसी योजना के तहत सहायता प्रदान की जा चुकी है और उन्हें उद्योग विभाग की ओर से 2 हजार करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री-सह-मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जितेन्द्र कुमार राय, विधायक श्री पंकज मिश्रा, विधायक श्री राजू सिंह, विधायक श्री अरूण

सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री बालामुरूगन डी0, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल श्री गोपाल मीणा, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक जल-जीवन हरियाली श्री राहुल कुमार, तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री पंकज सिन्हा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार, मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, वरीय अधिकारी एवं विभिन्न बैग उत्पादन इकाइयों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। ◉

मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन

सफल साबित हुआ है प्लग एण्ड प्ले का मुजफ्फरपुर मॉडल : उद्योग मंत्री

उद्यमियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा 9 जिलों के 13 बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्गफीट क्षेत्र का प्लग एण्ड प्ले इंडस्ट्रीयल शेड बनाया जा रहा है जिसमें कई शेड बनकर तैयार हो गये हैं। औद्योगिक प्रांगण, बेला, मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित ऐसे ही प्लग एंड प्ले शेड संख्या बी-1 में आर.एस.सी.एस टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने किया। उद्घाटन के अवसर पर उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक श्री संजीव कुमार, हस्तकरघा एवं रेशम तथा खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त-सह-प्रभारी जिला पदाधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी एवं उद्योग विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रारंभ में 43560 वर्गफीट में बनाये गये प्लग एण्ड प्ले शेड में 150 से अधिक स्टीचिंग मशीनें कम्पनी द्वारा लगाई गई हैं जिससे लगभग 500 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। भविष्य में मशीनों की संख्या को 500 तक बढ़ाने की योजना कम्पनी ने बनायी है।

उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बेला औद्योगिक परिसर में टेक्सटाइल कलस्टर में बने कपड़े अब देश ही नहीं, विदेश के मॉल में भी बिकेंगे। विभिन्न ब्रांडेड कंपनी के लिए कारीगर यहां रेडिमेड वस्त्र तैयार करेंगे। सभी पर बारकोड में बेला मुजफ्फरपुर का मार्क रहेगा। साथ ही सरकार यहां पर नए कारीगरों को प्रशिक्षण भी मुफ्त में देगी। यहां के लेदर व टेक्सटाइल कलस्टर मॉडल को बिहार के सभी 38 जिलों में लागू किया जाएगा। उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि पहले बिहार के मजदूर बाहर जाकर काम करते थे। मकान भाड़ा से लेकर हर कुछ लगता था। अब अपने घर-परिवार के बीच बेहतर आमदनी होगी।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि प्लग एंड प्ले योजना के तहत टेक्सटाइल कलस्टर का विस्तार हो रहा है। अक्टूबर तक 10 शेड बनकर तैयार हो जाएँगे। इसके बाद यहां पर करीब 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

◉

बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023

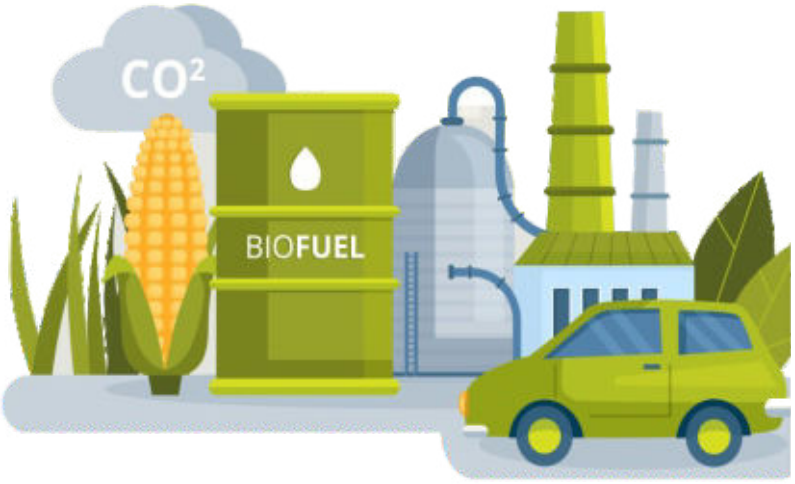

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रीन फील्ड न्यू 100 प्रतिशत स्टैन्डअलोन इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन इकाइयों का राज्य में सर्वांगीण विकास करना एवं वैसे इकाइयों और उनके निवेशकों, किसानों एवं अन्य संलग्न हितधारकों को लाभ पहुँचाना है तथा राज्य में शत् प्रतिशत इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस/बायो सी0एन0जी0 का उत्पादन करने वाली नई स्टैन्डअलोन इकाइयों की स्थापना है।

1. प्रस्तावना

बिहार सरकार निवेश अनुकुल वातावरण निर्माण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने एवं जन कल्याण के लिए राज्य ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया है। इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल जैसे-राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, सिंगल विण्डो क्लियरेंस एवं विभिन्न विभागों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा अपनाये गये ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, स्वप्रमाणन, अनुज्ञप्तियों एवं स्वीकृतियों का समयबद्ध अनुमोदन, ऑनलाइन सूचनाओं की उपलब्धता, अनुमोदन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, डीम्ड अनुमोदन, इत्यादि उपाय महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रयासों का समग्र उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना कर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना है। बिहार सरकार गंभीरतापूर्वक कौशल विकास, निर्यात सुधार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, वस्त्र एवं चमड़ा उत्पाद, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कार्य कर रही है।

बिहार सरकार ने उद्योग विशेषज्ञों, उद्योग संघों, निवेशकों, विषय विशेषज्ञों आदि से गहन विचार-विमर्श के उपरान्त इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तैयार और अधिसूचित किया गया है। इस नीति में संभावित निवेशकों के लिए राज्य में इथेनॉल उत्पादन को ज्यादा आकर्षक बनाने हेतु प्रस्ताव था। इथेनॉल उत्पादक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने एवं इस तरह के अन्य उद्योगों को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने हेतु सरकार के उद्देश्य की विस्तृत रूप-रेखा को परिभाषित करना है।

राज्य सरकार इस नीति को कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 के उत्पादन के उद्देश्य से इस नीति के व्यापकता एवं अन्य समरूप इकाइयों को सुविधा प्रदान करने हेतु बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 को लागू कर रही है। इस नीति का उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 को शामिल करके कवरेज को व्यापक बनाना है। यह वैकल्पिक, नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन उत्पन्न करने के लिए कृषि अवशेषों, जानवरों के गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज के पानी आदि का उपयोग करने में मदद करेगा। इससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजित करने और रोजगार सृजित करने में भी मदद मिलेगी।

2. पृष्ठभूमि

स्थाई और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई पहल की है जिनमें नियंत्रित मूल्य तंत्र, इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 जो भारत सरकार द्वारा विकृतिक इथेनॉल के लिए विनियामक है, में संशोधन, लागू माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) को

18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना, राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति-2018 को अधिसूचित किया जाना, इथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए कच्चे माल की व्याप्ति का विस्तार एवं अप्रैल, 2019 के प्रभाव से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (इ0बी0पी0) कार्यक्रम का अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारत में विस्तार शामिल है।

राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति-2018 का उद्देश्य सार्थक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का समाधान, आयात निर्यात निर्भरता में कमी करना तथा कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा दे कर सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति-2018 में बी-हेवी मोलासेस (छोआ), गन्ना जूस एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान जैसे-गेहूँ, ब्रोकन राईस (खुद्दी) इत्यादि जो मानव खपत के लिए अनुपयुक्त हैं, से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। खाद्यान्न के संबंध में राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति (एन0बी0सी0सी0) को आगामी वर्ष के आकलित आपूर्ति के आधार पर विशिष्ट कच्चे माल की अनुमति देने हेतु अधिकृत किया गया था। बाद में एन0बी0सी0सी0 द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) के पास अधिशेष चावल एवं मक्के से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति-2018 ने कृषि अवशेषों, जानवरों के गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज के पानी आदि का परिशोधन करते हुए कम्प्रेस्ड बायो गैस/बायो सी0एन0जी0 के उत्पादन की भी अनुमति देता है और समय-समय पर एन0बी0सी0सी0 (NBCC) द्वारा संशोधित किया गया।

पारंपरिक रूप से बिहार संपूर्ण देश में गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहा है एवं साथ ही यहाँ अधिसंख्यक छोआ आधारित आसवन इकाइयाँ स्थापित है। राज्य में गन्ना जूस, मकई तथा टूटे चावल का फीड-स्टॉक के रूप में उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 एवं बाद की भारत सरकार की उद्घोषणाएँ बिहार जैसे राज्यों जहाँ गन्ना, मक्का तथा चावल जैसे बहुत सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं, इथेनॉल से उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकुल नियामक एवं संस्थागत पर्यावरणीय प्रणाली प्रदान करते हैं।

यह नीति इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पेश की गई है, जो किसानों, उद्यमियों एवं इथेनॉल इकाइयों में नियोजित होने वाले कामगारों के लिए स्थायी आमदनी का श्रोत प्रदान करती है।

3. उद्देश्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रीन फिल्ड न्यू 100 प्रतिशत स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन इकाइयों का राज्य में सर्वांगीण विकास करना एवं वैसे इकाइयों और उनके निवेशकों, किसानों एवं अन्य संलग्न हितधारकों को लाभ पहुँचाना है तथा राज्य में शत् प्रतिशत इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 का उत्पादन करने वाली नई (Green Field) स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इकाइयों के निम्नांकित उद्देश्यों को प्राप्त करना है :-

- राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 एवं राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति के अन्तर्गत स्वीकृत इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 के उत्पादन की अनुमति देना।
- फ्यूल ग्रेड स्टेन्डअलोन न्यू/ग्रीन-फिल्ड इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाइयों को बिहार में इकाई स्थापित करने हेतु उन्हें सुविधा एवं वित्तीय सहायता के साथ नीति अन्तर्गत देय अनुदानों का लाभ पहुँचाना है।
- इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन हेतु कच्चा माल तैयार करने वाले किसानों एवं संलग्न फीड-स्टॉक की आय बढ़ाना का उद्देश्य है।
- फ्यूल ग्रेड स्टेन्डअलोन न्यू/ग्रीन-फिल्ड इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाइयों को प्रोत्साहित कर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना।

4. विषय वृत्तांत एवं व्याप्ति

4.1 इकाइयों के प्रकार के लिए पात्रता -

4.1.1 इस नीति के अन्तर्गत केवल वैसी स्टैन्डअलोन (Stand-alone) आसवनगृहों (सिंगल फीड अथवा डूयल फीड) जो 100 प्रतिशत ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करती हैं एवं ग्रीनफिल्ड परियोजना के रूप में विकसित होंगी, वैसी इकाइयाँ वित्तीय प्रोत्साहन की पात्र होंगी।

4.1.2 कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

4.2 फीडस्टॉक्स के प्रकार के लिए पात्रता-बिहार राज्य में राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 के तहत एवं राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सभी फीडस्टॉक्स से इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन की अनुमति होगी। भविष्य में राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति द्वारा कोई अतिरिक्त फीडस्टॉक की अनुमति दिए जाने पर उक्त फीडस्टॉक में बिहार में स्वतः इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन हेतु अनुमति होगी।

5. इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन

यह नीति, इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 उत्पादन प्रक्षेत्र में आगे निवेश के अवसर में सुधार हेतु अर्हता प्राप्त इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्कयता का महत्त्व समझती है।

5.2 प्रोत्साहन की अधिसीमा

5.2.1 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत ब्याज अनुदान प्रोत्साहन एवं इस नीति अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान की कुल अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगी।

5.2.2 विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए यह अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत का 52.5 प्रतिशत होगी।

5.3 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन

इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अथवा रु0 5.00 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत अथवा रु0 5.25 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

5.4 केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय (Dovetailing)

(क) इस नीति अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं से समन्वय (Dovetailing) की अनुमति होगी। निवेशकों को उनके द्वारा केन्द्र सरकार की नीतियों अन्तर्गत प्राप्त किये गये/प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रकार एवं राशि की घोषणा करनी होगी।

(ख) इस नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से भी समन्वय (Dovetailing) की अनुमति होगी। नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से इतर राज्य सरकार की अन्य नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय (Dovetailing) की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि इकाई द्वारा एक ही परिसम्पत्ति पर इस नीति एवं वैसी अन्य नीति के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि निवेशक केन्द्र सरकार की योजना अन्तर्गत कोई अनुदान प्राप्त करता है तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले अनुदान की राशि को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा इस नीति अन्तर्गत अनुमान्य

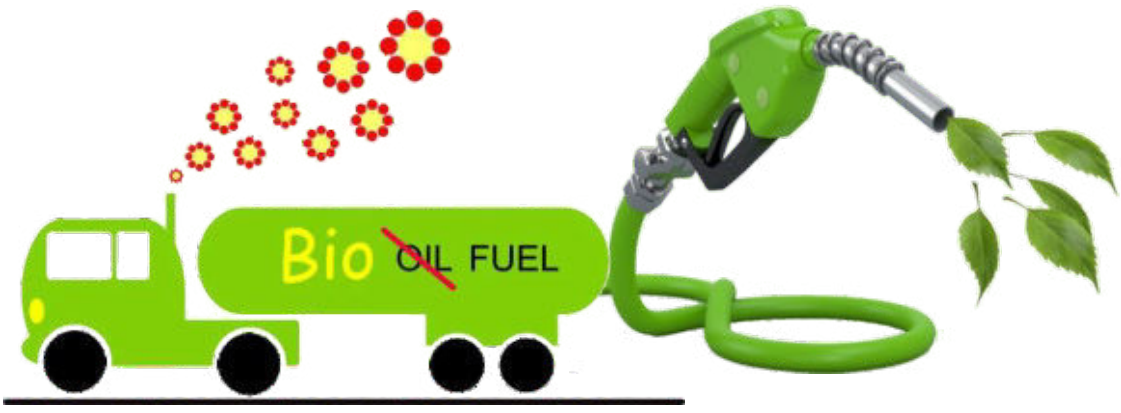

तत्स्थानी अनुदान (Corresponding Subsidy) से घटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक निवेशक केन्द्र सरकार की एक योजना अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त करता है तथा उसके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर लागू ब्याज का दर 10 प्रतिशत है तो नीति में उल्लेखित अधिसीमा के अधीन शेष 4 प्रतिशत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमान्य होगा।

5.5 विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

राज्य में अनुसूचित जातियों (एस0सी0), अनुसूचित जनजातियों (एस0टी0), अति पिछड़ा वर्ग (इ0बी0सी0), महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें इस नीति अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान इस शर्त के साथ अनुमान्य होगा कि इकाई को प्रवर्तित करने वाली कंपनी/फर्म में इन वर्गों के उद्यमियों का 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

5.6 आवेदन की समयावधि

इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र इकाइयों को दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा। इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाई की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा जमा किए गए स्टेज-1 के सभी आवेदनों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के आगामी बैठक में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर तरह से पूर्ण आवेदन को स्टेज-1 की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा इसकी सूचना संबंधित उद्यमी को दी जाएगी।

वैसी पात्र इकाइयाँ जो इस नीति की अधिसूचना के पूर्व स्टेज-1 की स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं उन्हें भी इस नीति से आच्छादित किया जाएगा।

5.7 पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन

इस योजनान्तर्गत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति अन्तर्गत दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी इकाइयाँ प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी, अगर वे 30.06.2025 तक अथवा इसके पूर्व वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती है।

5.8 100 प्रतिशत नई स्टैंडअलोन इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाइयों को कुल वित्तीय सहायता

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया उद्योग विभाग
की वेबसाइटड पर जाएं या 1800 345 6214 पर कॉल करें।

◉

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 का अवधि विस्तार

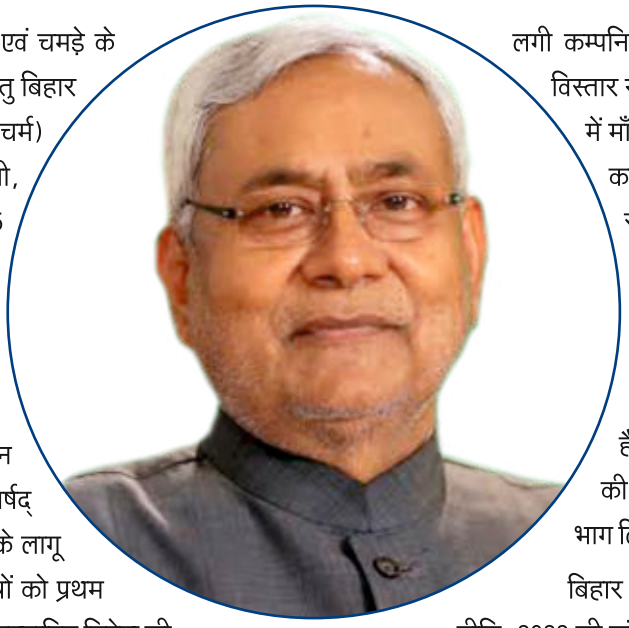

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 को स्वीकृति दी गयी थी, जिसे उद्योग विभाग के ज्ञापांक 1275 दिनांक 03.06.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया।

इस नीति के लागू होने के पश्चात् राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिला है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा चरण-1 के अंतर्गत इस नीति के लागू होने के पश्चात् 59 (उन्सठ) इकाईयों को प्रथम चरण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें प्रस्तावित निवेश की राशि 348.5118 करोड़ (तीन सौ अड़तालीस करोड़ इक्यावन लाख अठारह हजार) रूपये है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् मुजफ्फरपुर बैग क्लस्टर प्रारम्भ हुआ है, जिसमें 1100 से अधिक औद्योगिक सिलाई मशीनों पर टेक्सटाईल बैग का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर एवं पटना जिलों में भी 1000 से अधिक स्टीचिंग मशीनों के साथ टेक्सटाईल बैग बनाने की इकाईयाँ स्थापित हुई। वस्त्र निर्माण (गारमेटिंग) की इकाईयाँ भी स्थापित हुई। मुजफ्फरपुर में आर०एस०सी०एस० इंटरनेशनल, V-2 आदि कम्पनियों द्वारा वस्त्र निर्माण इकाईयों की स्थापना की जा रही है। चमड़ा क्षेत्र में सावी लेदर कम्पनी द्वारा मधुबनी में सौ करोड़ से अधिक लागत से परियोजना लगायी जा रही है।

परन्तु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजार में अधिक उत्पादन एवं कम माँग होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग की स्थिति वर्ष 2022-23 में अच्छी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर माँग कम होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा निर्माण में लगी कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्षमता विस्तार नहीं किया गया है। अप्रैल, 2023 से बाजार में माँग में सुधार होना प्रारम्भ हो गया है। इसके कारण वस्त्र एवं चमड़े की कई कम्पनियों द्वारा राज्य में इकाईयों को लगाने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा इन्वेस्टर्स मीट आदि के माध्यम से अधिक-से-अधिक इकाईयों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस प्रकार की इन्वेस्टर्स मीट में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया।

बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 के अनुसार 30 जून 2023 तक आवेदन देने वाली इकाईयों को ही इस नीति के अनुसार लाभ देने का प्रावधान है। उपरोक्त कंडिका-12.8 में दी गयी जानकारी के अनुसार इस तिथि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि और कम्पनियाँ राज्य में वस्त्र एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश करते हुये इकाईयाँ लगा सके।

बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 के प्रावधान को संशोधित करते हुये आवेदन की अंतिम तिथि को 30 जून 2024 किया जाय। इस प्रकार नीति की कंडिका-12.8 में निम्न प्रकार संशोधित हो जायेगीः

(1) **चरण 1:** चरण-1 की मंजूरी के लिए आवेदन अधिकतम 30.06.2024 तक उद्योग विभाग (डी०ओ०आई०) के एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए।

(2) **वित्तीय मंजूरी :** वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के एकल खिड़की पोर्टल पर अधिकतम 30 जून, 2025 तक जमा किया जाना चाहिए।

मुख्य प्रावधान

पूँजी अनुदान

उद्योग लगाने पर 15% अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगा।

पावर अनुदान

बिजली बिल में प्रति यूनिट दो रुपये की छूट दी जायेगी।

रोजगार अनुदान

हर माह प्रति वर्कर तीन से पाँच हजार रुपये तक वेतन मद में प्रोत्साहन राशि

मालभाड़ा अनुदान

निर्यात होने वाला कार्गो पर मालभाड़े में 30% की प्रतिपूर्ति या सालाना 10 लाख रुपये का अनुदान

पेटेंट अनुदान

सालाना प्रति पेटेंट 10 लाख रुपये का अनुदान

पटना में खुला निवेश प्रोत्साहन केन्द्र

बिहार के 13 करोड़ लोग एक साथ मिलकर राज्य के औद्योगिक वातावरण के निर्माण के लिए आगे आएं : समीर महासेठ

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है।

निवेशकों की सुविधा के लिए बिहार के उद्योग विभाग का निवेश प्रोत्साहन केन्द्र मुम्बई और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत है। अब बिहार में रहने वाले उद्यमियों और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पटना के अटल पथ स्थित इंदिरा भवन में निवेश प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने किया। मौके पर उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक श्री संजीव कुमार, हथकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, उद्योग विभाग के विशेष सचिव श्री दिलीप कुमार, उद्योग मित्र के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री मकेश्वर द्विवेदी आदि मौजूद रहे। निवेश प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि उपभोक्ता बिहार को उद्यमी बिहार में तब्दील करने के लिए हर बिहारी को प्रयास करने की आवश्यकता है। बिहार के 13 करोड़ लोग एक साथ मिलकर राज्य के औद्योगिक वातावरण के निर्माण के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में निवेशकों के परसेप्शन को फिल्मों और दूसरे माध्यमों द्वारा जानबूझकर खराब किया गया है। बिहार गौतम बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। बिहार श्रम को प्रतिष्ठा देने वाले लोगों की भूमि है। बिहार के लोग मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। देश के 40% से अधिक मिलों और उद्योगों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को जोड़कर बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग प्रयत्नशील है। बिहार में इथेनॉल और बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार बायोफ्यूल्स नीति 2023 लाई गई है। इसके तहत निवेशकों को निवेश पर पूंजीगत प्रोत्साहन प्राप्त होगा। लेदर और टेक्सटाइल क्षेत्र के उद्यमियों को बिहार में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य लेदर एवं टेक्सटाइल नीति को एक साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन अब मात्र एक सप्ताह के अंदर किया जा रहा है। उद्योगों को सभी प्रकार के क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए निवेश प्रोत्साहन केंद्र में ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से कार्य संपादित होगा।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रोत्साहित करने के लिए 24 लाख वर्ग फीट में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड तैयार किया गया है। 10 शेड बनकर तैयार हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि 29,000 उद्यमियों को 2100 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। अधिकांश उद्यमी अपने यूनिट में उत्पादन चालू कर चुके हैं। कुछ उद्यमियों द्वारा उद्योग नहीं लगाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जमा किए गए बिलों का वेरिफिकेशन कमर्शियल टैक्स विभाग द्वारा कराया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करके यदि फर्जीवाड़ा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। ◉

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमई कनेक्ट

मिलेट महोत्सव और मेगा फूड एक्सपो का आयोजन

फूड एक्सपो में शामिल मशीन निर्माता कंपनियों ने उद्योग मंत्री की पहल पर घोषणा की कि यदि किसी इकाई द्वारा इस मेला अवधि में अपनी इकाई के विस्तार के लिए या नई इकाई की स्थापना के लिए मशीन की बुकिंग की जाती है, तो उन्हें मशीनों पर 2 साल की मुफ्त वारंटी दी जाएगी। किसी प्रकार की खराबी आने पर कंपनी के इंजीनियर साइट पर जाकर ही मशीन की मेंटेनेंस करेंगे।

बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। मखाना, मशरूम, मक्का, केला, आम, लीची और सब्जियों की अच्छी पैदावार होने के कारण बिहार में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा पटना में पीएमएफएमई कनेक्ट, मिलेट महोत्सव और मेगा फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण और बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने किया। उद्घाटन समारोह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्यमियों और जिला संसाधन सेवकों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की व्यापक संभावनाएं हैं। बिहार की भूमि उपजाऊ है। मसाले, सब्जियों और फलों के उत्पादन में बिहार भारत का अग्रणी राज्य है। मखाना और मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन बिहार राज्य में ही होता है। मक्का, टमाटर, केला, सब्जियां, फल और अनाज के उत्पादन में भी बिहार भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों में एक है। कई कृषि उत्पाद 1 सप्ताह से 1 माह की अवधि के भीतर उपयोग न किए जाने पर खराब हो जाते हैं, लेकिन यदि उनकी अच्छी तरह से प्रोसेसिंग कर दी जाए तो उनका लाइफ बढ़कर कई साल हो जाता है। मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में बैंकों, उद्यमियों और सरकार के बीच तालमेल बढ़ा है। उद्योग विभाग के अधिकारियों की सकारात्मक कोशिशों से उद्यमियों के बीच जोश भर गया है। सब में एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की चाहत भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार एक बड़ा उपभोक्ता राज्य है और गांव शहर सभी जगह प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ी है। मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के संचालकों से कहा कि अपने प्रोडक्ट बनाते समय शुद्धता और गुणवत्ता का ख्याल रखें। इससे प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर का विश्वास बढ़ता है और स्थानीय बाजार में प्रोडक्ट का पॉजिटिव इमेज बनता है। इससे मांग बढ़ती है और दूसरे बाजारों में भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में बाजार और दुकानें खुल गई हैं। उत्पादक अपने जिले के बाजार पर फोकस करें और फिर उत्पादन बढ़ने

पर आसपास के दूसरे बाजारों में मार्केटिंग चालू करें। मुख्य सचिव ने कहा कि खुदरा दुकानदारों और स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने कारखाने में बुलाकर वहां बनने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और प्रक्रिया को दिखाएं, इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण ने कहा कि पीएमएफएमई योजना के क्रियान्वयन में बिहार का प्रदर्शन उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का 9% से अधिक की दर से विकास हुआ है। पिछले साल इस सेक्टर का ग्रोथ रेट 22% रहा है। उन्होंने कहा कि आम और लीची का लाइफ 10 दिनों का होता है लेकिन यदि इनकी प्रोसेसिंग कर दी जाए तो अगले एक-दो सालों तक अलग-अलग तरीके से उनको खाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाओं को लागू करने में बिहार का स्थान पहला या दूसरा रहता है, यह उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि किसान संपदा योजना और पीएमएफएमई योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगने वाली इकाइयों को अनुदान दिया जाता है।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने उद्यमियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ समझौता कभी नहीं करें। अच्छी नीयत से काम करें तो उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की सफलता एक लंबी प्रक्रिया है। सफलता के लिए धैर्य के साथ मेहनत करना जरूरी है। राष्ट्रकवि

रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि **'है कौन विघ्न ऐसा जग में / टिक सके वीर नर के मग में / खम ठोक ठेलता है जब नर / पर्वत के जाते पांव उखड़/मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।'**

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी हुई योजनाओं की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के डायरेक्टर डॉ. राणा सिंह, श्री विशाल भदौरिया, श्री रितेश कुमार और

श्री अरुण प्रकाश ने सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को सोशल मीडिया के उपयोग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकों की क्रेडिट लिंक योजनाएं और फूड सेफ्टी प्रबंधन के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय की पीएमएफएमई योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने वाले बैंकों और जिला संसाधन सेवियों को सम्मानित भी किया गया।

पटना के गांधी मैदान में लगाये गए मेगा फूड एक्सपो 2023 का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने किया। उद्घाटन के बाद समीर कुमार महासेठ ने अलग-अलग स्टॉलों का भ्रमण किया और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न इकाइयों के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। फूड एक्सपो में शामिल मशीन निर्माता कंपनियों ने उद्योग मंत्री की पहल पर घोषणा की कि यदि किसी इकाई द्वारा इस मेला अवधि में अपनी इकाई के विस्तार के लिए या नई इकाई की स्थापना के लिए मशीन की बुकिंग की जाती है, तो उन्हें मशीनों पर 2 साल की मुफ्त वारंटी दी जाएगी। किसी प्रकार की खराबी आने पर कंपनी के इंजीनियर साइट पर जाकर ही मशीन की मेंटेनेंस करेंगे। उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि यह मेला अपने आप में अद्वितीय और सबसे विशाल है। बिहार में पहली बार फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का इतना बड़ा मेला लगाया गया है। इसमें 400 ऐसी इकाइयों की भागीदारी है, जिन्होंने उद्योग विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी इकाई की स्थापना की है। श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि पीएमएफएमई, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में भी फूड प्रोसेसिंग को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा गया है। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत इन्नोवेटिव आइडिया के साथ कार्य प्रारंभ करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मदद प्रदान की गई है। फूड एक्सपो में जीविका, आजीविका, बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग तथा विभिन्न बैंकों के स्टाल भी लगाए गए।

◉

बिहार इन्वेस्टर्स मीट-2023

आइए, देखिए, जानिए, समझिए?
फिर उद्योग लगाइए

बिहार के उद्यमियों को बिहार में ही निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग की ओर से पटना के अधिवेशन भवन में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2023 का आयोजन किया गया। इसमें पूरे प्रदेश के 200 से अधिक निवेशकों और उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित, उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक श्री संजीव कुमार, हथकरघा एवं रेशम तथा खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की।

उद्घाटन सत्र में उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार की उद्योग नीतियों के बारे में उद्यमियों को बेहतर तरीके से जानकारी देने तथा उद्यमियों को जोड़ने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के निवेशक अपने ही राज्य में निवेश कर राज्य के विकास के साझीदार बनें और बाहर के निवेशकों को भी बिहार में निवेश करने के लिए प्रेरित करें। बाहरी निवेशकों से उन्होंने अपील की कि बिहार में निवेश से पहले सभी निवेशकों को यहां आकर यहां की आधारभूत संरचना और औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं का मुआयना करना चाहिए। बिहार का औद्योगिक परिदृश्य बेहतरीन है। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि यहां आइए, देखिए, जानिए, समझिए। इसके बाद अपनी राय कायम कीजिए। उन्होंने कहा कि नौकरी करेंगे तो सिर्फ अपना पेट पालेंगे। उद्योग लगाएंगे तो सैकड़ों दूसरों लोगों को रोजगार देंगे। बिहार के पास बड़ा मार्केट मौजूद है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में जो लोग जमीन लेकर काम नहीं कर रहे थे, उनके आवंटन को रद्द करके नए उद्यमियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक भी बिहार में रुचि ले रहे हैं और उद्यमियों की सहायता के लिए तत्पर हैं। उन्होंने उद्यमियों से अपील की कि बिहार सरकार की औद्योगिक नीतियों का पूरा लाभ लें और लोकल पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल करें। महत्वकांक्षी योजना बनाएं और उसे लागू करें। राज्य सरकार की ओर से हर किस्म की सहायता मिलेगी। उद्योग लगाकर खुद खुशहाल बनें, अपने परिवार को खुशहाल बनावें और राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं।

इन्वेस्टर्स मीट में कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेंदर ने कृषि क्षेत्र में निवेश और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, भारतीय स्टेट बैंक के सीजीएम श्री शिव ओम दीक्षित और पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर श्री सुधांशु शेखर दास ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

उद्योगों के विकास में जिलाधिकारियों की भूमिका पर कार्यशाला

राज्य के औद्योगिक विकास में जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 जून तथा 28 जून 2023 को क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उद्योगों की स्थापना एवं उसके विकास में जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग विभाग द्वारा 15 जून को बेला अद्यौगिक परिक्षेत्र में स्थित आईडीटी सेंटर में उत्तर बिहार के 20 जिलाधिकारियों और 28 जून को दक्षिण बिहार के 18 जिलों के जिलाधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। दोनों आयोजनों का उद्घाटन बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने किया। कार्यक्रम में सभी जिलाधिकारियों को उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि जिला के औद्योगिक विकास में सभी जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने जिलाधिकारियों को औद्योगिक प्रगति के लिए मजबूत कड़ी के रूप में काम करने का आवाहन करते हुए कहा कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं में प्रोटोकॉल निहित है यथा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, शौचालय निर्माण योजना आदि में लाभुकों का आर्थिक हित और लक्ष्य निर्धारित होते है। जबकि उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में लचीलापन और आजादी है। कोई भी निवेशकर्ता हो सकते है, कितनी भी राशि का निवेश किया जा सकता है। नये-नये आइडिया लाये जा सकते है। नयी सेवा, नये उत्पाद और नवाचार की प्रबल संभावना उद्योग के क्षेत्र में है। उन्होनें उपस्थित जिलाधिकारियों को अपने आइडिया और प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दिया। उन्होनें चनपटिया (पश्चिमी चंपारण) कलस्टर का उदाहरण सबके सामने रखा और कहा कि निवेशकर्ता और उद्यमियों को सुविधाएं मुहैया कराने में तत्परता से सहयोग करें। कोविड के दौरान कई स्किल्ड लोग बिहार आये थे और उनमें से कई लोग अभी बिहार में ही है। स्किल

मैपिंग सर्वे कराकर उनका उद्योग की दिशा में सकरात्मक सहयोग प्राप्त करें। उद्योगों के विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विगत 6 माह में बैंकों का ऋण मुहैया कराने में सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। छोटे एवं लघु उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करें।

उत्तर बिहार के जिलाधिकारियों द्वारा बेला बैग कलस्टर एवं पारले जी बिस्कुट फैक्ट्री का मुआयना किया गया। अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार में उद्योग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में विगत साल में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि देश में 35 इथनॉल प्लांट निर्माणाधीन हैं जिसमें 15 बिहार में है। अद्यौगिक क्षेत्रों में इंन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रकार की अनुमति त्वरित गति से दी जा रही है। बियाडा ने ऐसी व्यवस्था की है कि औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का आवंटन 1 सप्ताह के अंदर किया जा रहा है। इसी तरह प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड का आवंटन भी आवेदन करने के 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जा रहा है। इससे उद्योग जगत का विश्वास बढ़ा है। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में नए उद्यमियों को चिन्हित करें और उन्हें उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। उद्यमियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करना भी जरूरी है ताकि उद्योगों की तरक्की की राह में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कार्यक्रम में कहा कि औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि से जिले का समेकित विकास

सड़क, उर्जा, ड्रेनेज, जल निकासी, भूमि कई चुनौतियों को सहजता से सुचारू बनाया जा रहा है।

दक्षिण बिहार के जिला अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने कहा कि उद्योग लगाने वाले निवेशकों और उद्यमियों की हर प्रकार की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में नए उद्योग लगने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से उद्योग लगाने के लिए सभी

होगा। बिहार में लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां अधिक हैं और इन्हें नियमित सपोर्ट की आवश्यकता होती है।

कार्यशाला से पहले सभी दक्षिण बिहार के जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों ने उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक और उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित के साथ फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया और वहां पर कई औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली एवं उनकी आवश्यकताओं को विस्तार से समझा।

◉

एमएसएमई कनेक्ट 2023

सरकार और बैंकों से प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पिछले एक साल में सरकार एवं बैंकों की वित्तीय सहायता से बिहार में 23 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है।

बिहार राज्य की सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों हेतु उद्योग विभाग के तत्वावधान में पटना के ज्ञान भवन में बिहार एमएसएमई कनेक्ट 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुबहानी, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री बी बी स्वैन तथा उद्योग विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने किया। कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री विनीत कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित, उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित तथा सभी प्रमुख बैंकों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार में लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनका विशेष महत्व है। लघु एवं मध्यम उद्यमों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में विश्वसनीय होती हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों ने पीएमईजीपी और पीएम एफएफएमई कार्यक्रमों को लागू करने में अच्छा सहयोग दिया। बिहार के समग्र विकास के लिए एमएसएमई मंत्रालय से हमें अधिक फंड और अधिक योजनाओं की आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री बी बी स्वैन ने कहा कि भारत के सकल घरेलू

उत्पाद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान लगभग 30% है भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का है। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र ही है। हमारी योजना है कि अगले 10 वर्षों में इस सेक्टर में करीब 30 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि एमएसएमई उद्यमियों के लिए कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योग से प्रारंभ करने वाले उद्यमियों की हौसला अफजाई करना है। सरकार और बैंकों से प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करके सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की सहायता पाने वाली कुछ औद्योगिक इकाइयों का कारोबार अब करोड़ों में भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत करीब 29000 लोगों को उन्नीस सौ करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के तहत उद्यमियों को 1500 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बैंकों और उनकी शाखाओं को पुरस्कृत किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड श्री पीसी बेहरा, बैंक ऑफ इंडिया की महाप्रबंधक पुष्पा चौधरी, केनरा बैंक के सर्किल हेड श्रीकांत एम भांदीवाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम श्री अजय बंसल, उत्तर

बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री सोहेल अहमद, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार झा और यूको बैंक के श्री धीरज पटवर्धन ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार और भारत सरकार के एमएसएमई सचिव से पुरस्कार ग्रहण किया। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक की मधुबनी और औरंगाबाद शाखा, पंजाब नेशनल बैंक के नारदीगंज और नया भोजपुर शाखा, बैंक ऑफ इंडिया के इस्लामिया कॉलेज लक्ष्मीपुर शाखा तथा कटिहार शाखा, केनरा बैंक के बुद्ध मार्ग शाखा और बिहटा शाखा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नवादा शाखा और वारसलीगंज शाखा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मधुबनी शाखा और मलमलिया मोड़, पश्चिम चंपारण शाखा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बिशनपुर, समस्तीपुर शाखा तथा बेन, बिहार शरीफ शाखा तथा यूको बैंक के नवादा शाखा और सोनो, जमुई शाखा को पीएमईजीपी कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया। मौके पर पीएमईजीपी कार्यक्रम के 16 लाभुकों को स्वीकृत ऋण का चेक सौंपा गया।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों के मार्गदर्शन हेतु तकनीकी विषयों पर तीन सत्रों में विशेष जानकारी दी गई। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ राणा सिंह ने मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। उद्यमियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। ◉

सक्शेस स्टोरी

हाउस ऑफ मैथिली संस्कृति भी, रोजगार भी

पूर्णिया के मनीष रंजन को फैशन का शौक बचपन से ही रहा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में पूरी करने के बाद वह फैशन की उच्च शिक्षा के लिए इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली पहुँचे। वहाँ से फैशन डिजाइनिंग में डिग्री लेने के बाद मुम्बई चले गये जहाँ प्रसिद्ध फैशन चैनल एम.टी.वी. मुख्य फैशन सलाहकार के पद पर काम किया। बॉलीवुड की फिल्मों और टेलिविजन के कलाकारों के लिए भी नये फैशन के अनुरूप ड्रेस डिजाइन किये। इस बीच कोरोना का प्रकोप हुआ तो मायानगरी से मोह भंग हो गया और अपनी भूमि पर लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा।

कोरोना की यही बाध्यता मनीष रंजन के जीवन के लिए टर्निंग प्वाईंट साबित हुआ। उन्होंने पूर्णिया में अपना फैशन स्टूडियो खोलने का फैसला लिया। इसके लिए पूंजी कम पड़ रही थी तो जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क किया। जिला उद्योग केन्द्र की सहायता से उन्हें पी.एम.ई.जी.पी. योजना के तहत 10 लाख रूपये का ऋण प्राप्त हुआ। ऋण की राशि का सदुपयोग करते हुए उन्होंने हाउस ऑफ मैथिली की स्थापना की और स्थानीय महिलाओं को मॉडर्न डिजाइनिंग में प्रशिक्षित करते हुए आधुनिक स्टाईल के कपड़े बनाने चालू किये। हाउस ऑफ मैथिली से जुड़ी महिलाओं को बुनाई, सिलाई, कसीदाकारी और अन्य शिल्प का प्रशिक्षण मुफ्त दिया गया। जिसके बाद महिलाएँ खुबसूरत और मॉडन थीम पर आधारित कपड़े तैयार करने लगी।

स्थानीय बाजार में मॉडर्न डिजाइन की सीमित मांग को देखते हुए मनीष रंजन ने ऑनलाइन माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने हाउस ऑफ मैथिली का अपना ई-कामर्स वेबसाईट बनाया। साथ ही उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित पटना एवं नई दिल्ली के बिहार इम्पोरियम में अपने उत्पादों की बिक्री का प्रबंध किया। इस तरह उनकी कम्पनी का वार्षिक टर्नओवर 25 लाख रूपये तक पहुँच गया। अभी 30 से अधिक महिलाएँ हाउस ऑफ मैथिली से जुड़कर काम कर रही हैं। मनीष अपनी कम्पनी का टर्नओवर अगले साल 1 करोड़ की सीमा से ऊपर ले जाना चाहते हैं। इससे करीब 200 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मनीष कहते हैं कि अगर आपके अन्दर कुछ अच्छा करने का जुनून है तो सारी समस्याओं का समाधान निकलता जाता है। हमें असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। हिम्मत एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े तो हर सपने को साकार किया जा सकता है। ◉

आईआईटी, पटना करेगा, बिहार के दूसरे बी हब का संचालन

बिहार स्टार्ट-अप का पहला कॉमन वर्किंग सेन्टर - 'बी-हब' मौर्यालोक कम्प्लेक्स में संचालित है। दूसरा 'बी-हब' बिहार राज्य वित्तीय निगम भवन में बनकर तैयार हो गया है जिसके संचालन की जिम्मेदारी इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना को दी गई है।

बिहार स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करने के लिए मौर्या लोक में कॉमन वर्किंग स्पेस सेंटर बी हब का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। बी हब-1 में लगभग एक सौ स्टार्टअप इकाइयों को काम करने की जगह आवंटित की गई है। बिहार राज्य का दूसरा स्टार्टअप को वर्किंग स्पेस बी हब-2 पटना के फ्रेजर रोड स्थित बिहार राज्य वित्तीय निगम की बिल्डिंग में तैयार किया गया है।

प्रथम बी-हब के संचालन की जिम्मेदारी चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को सौंपी गई है जबकि उद्योग विभाग और बिहार स्टार्टअप फंड की ओर से द्वितीय बी-हब के संचालन की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के इनक्यूबेशन सेंटर को सौंपी गई है। इस आशय के सहमति पत्र पर उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉ टी एन सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। समझौता पत्र पर हुए हस्ताक्षर के समय बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुणीश चावला और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल उपस्थित रहे।

विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने में बी हब की विशेष भूमिका है। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। स्टार्टअप उद्यमियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नए को वर्किंग स्पेस के प्रारंभ हो जाने पर स्टार्टअप सिस्टम और मजबूत होगा। फ्रेजर रोड स्थित कॉमन वर्किंग सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और कुछ दिनों में ही पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद स्टार्टअप उद्यमियों को इस कॉमन वर्किंग सेंटर पर आकर काम करने का मौका मिलेगा।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि स्टार्टअप के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा युवाओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार स्टार्टअप की टीम हर जिले में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। ◉

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को दिये गये 52 करोड़ रुपये

उपभोक्ता बिहार से उद्यमी बिहार बनाने के लिए करें काम : उद्योग मंत्री

बिहार सरकार ने युवाओं पर विश्वास किया है, महिलाओं पर विश्वास किया है। हमारा विश्वास है कि बिहार के युवाओं में अच्छा और सफल उद्यमी बनने की क्षमता है। सफल व्यवसाय और सफल उद्योग की स्थापना में 4-5 साल का समय लग जाता है। इसलिए धैर्य के साथ मेहनत करते रहें। हमसब बिहार के हैं। मेहनत हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इमानदारी हमारे खून में है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 1300 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि के भुगतान तथा सफल उद्यम के आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ज्ञान भवन, पटना में किया गया जिसमें प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने सभी लाभुकों को चार-चार लाख रूपये की पहली किस्त की राशि के डिजिटल भुगतान की स्वीकृति दी और दस लाभुकों को सांकेतिक रूप से चेक प्रदान किया गया।

कार्यशाला में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को संबोधित करते हुए उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दी जा रही 10 लाख रुपये की राशि में से 5 लाख रूपये अनुदान है और 5 लाख रूपये ऋण हैं। ऋण की राशि 84 किस्तों में वापस की जानी है। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में अद्वितीय योजना है क्योंकि पूरे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ऋण और अनुदान दोनों सरकार की ओर से दिया जा रहा है। साधारणतया ऋण की राशि बैंकों द्वारा दी जाती है और अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। उन्होंने लाभुकों से कहा कि अपने उद्यम की सफलता के लिए सरकार से प्राप्त राशि का सही उपयोग और कड़ी मेहनत करें।

उन्होंने कहा कि किसी भी उद्योग की सफलता के लिए 10 हजार घंटे के फार्मूले पर काम करना चाहिए। अपने उद्योग में जब आप 10 हजार घंटा लगायेंगे तो सफलता के द्वार खुलने लग जायेंगे। संदीप पौण्डरीक ने कहा कि गुणवत्ता के साथ समझौता कभी न करें। प्रोडक्शन के लिए अच्छी क्वालिटी के मशीन की खरीद करें और उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल हमेशा प्रयोग में लायें। इससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी और भविष्य में उद्योग का आकार बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी उद्योग पहले सूक्ष्म होता है। फिर लघु और मध्यम आकार का होते हुए वृहद उद्योग में तबदील होता है। आपको सरकार से मिले 10 लाख रूपयों का बेहतर उपयोग करके 50 करोड़ से 100 करोड़ की कम्पनी बनाने का स्वप्न देखना है और उसी के हिसाब से मेहनत करनी है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार सरकार ने युवाओं पर विश्वास किया है, महिलाओं पर विश्वास किया है। हमारा

विश्वास है कि आप सब में अच्छा और सफल उद्यमी बनने की क्षमता है। सफल व्यवसाय और सफल उद्योग की स्थापना में 4-5 साल का समय लग जाता है। इसलिए धैर्य के साथ मेहनत करते रहें। हमसब बिहार के हैं। मेहनत हमारी संस्कृति का हिस्सा है।

इमानदारी हमारे खून में है। आगे बढ़ने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर सफल होकर अपने अलग पहचान बनाते हैं। पूरी दुनिया में बिहार के हजारों लोग अपनी मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाकर देश-दुनिया में बिहार का नाम रौशन कर रहे हैं। आप लोग भी उनमें से एक होने वाले हैं। छोटा उद्यम स्थापित करके अभी आप 5-10 लोगों को रोजगार देंगे। बाद में आपका उद्योग बड़ा हो जाएगा तो सैकड़ों और हजारो लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को उपभोक्ता बिहार से उद्यमी बिहार बनाना है। हाल ही में एक मखाना उद्योग का मैनें उद्घाटन किया और कुछ महीनों में ही उसका एग्रीमेन्ट वॉलमार्ट से हो गया। इस तरह बिहार का मखाना अब पूरी दुनिया में बिकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इस योजना को बनाने में दूर दृष्टि का परिचय दिया है। इस योजना के तहत 29828 लाभुकों को 2000 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। आज फिर से 52 करोड़ की राशि दी जा रही है। फिर हम बैंकों के माध्यम से भी उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऋण कोई रसगुल्ला नहीं है। इसे मिठाई की तरह नहीं खाना है। यह ऋण उद्योग रूपी पौधा लगाने के लिए दिया गया है जिसे हमें अपनी मेहनत से सींचना है और बड़ा करना है। इसको लगातार बढ़ाना और आसमान की ऊँचाईयों तक पहुँचाना है। हम सबको गौरवशाली बिहार बनाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का हर लाभुक अगले 4-5 सालों में उद्योग विभाग का ब्रांड एम्बेस्डर बनेगा। बिहार सरकार का सभी उद्यमियों पर पूरा भरोसा है।

कार्यशाला में चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ0 राणा सिंह ने उद्यमियों को मार्केटिंग के गुर बताये। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने उद्यमियों को बैंकिंग से जुड़ी जानकारी दी। जबकि वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों ने उद्यमियों को जी.एस.टी. और इसके फायदों के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के छः लाभुकों ने नये उद्यमियों के साथ अपने अनुभव साझा किये। अरूण प्रकाश ने ऑर्गेनिक साबुन और शैम्पु के क्षेत्र में किये गये काम को बताया। युवा उद्यमी मित्ताली गुप्ता ने बताया कि उन्होंने मित्ताली इन्डस्ट्रीज की स्थापना करके सेनेटरी पैड और नेपकीन बनाने का काम प्रारंभ किया है। उनका कारोबार हर महीने 2-3 लाख रूपये तक का हो गया है।

कार्यक्रम में उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित ने सभी उद्यमियों को विस्तार से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की विशेषताओं और सफलताओं की जानकारी दी। कार्यशाला में तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक संजीव कुमार, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय और उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार, आलोक कुमार सहित सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ◉

नई दिल्ली इन्वेस्टर्स मीट

बिहार में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : विकास आयुक्त

निवेशकों को बिहार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य द्वारा अनेक उत्साहवर्द्धक नीतियाँ बनायी गयी हैं। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। कुशल तथा अकुशल श्रमशक्ति के मामले में बिहार देश का नम्बर वन राज्य है।

बिहार के उद्योग विभाग द्वारा नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने किया। निवेशको को संबोधित करते हुए बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य द्वारा अनेक उत्साहवर्द्धक नीतियाँ बनायी गयी हैं। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। कुशल तथा अकुशल श्रमशक्ति के मामले में बिहार देश का नम्बर वन राज्य है। उद्योग विभाग द्वारा निवेश को बढ़ाने तथा नये उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (लेदर और टेक्सटाईल) नीति, 2022 सहित अनेक नीतियाँ बनायी गयी हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में भी निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने निवेशकों से कहा कि बिहार में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति काफी अच्छी है। निवेशक स्वयं बिहार आएँ और यहाँ उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए निवेश का फैसला लें।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि

बिहार में इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और उत्पादन का हब बन सकता है। बिहार में तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं की एक बड़ी फौज है। बिहार में स्टार्ट-अप के विकास के लिए बी-हब बनाया गया है जहाँ 162 स्टार्ट-अप्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आई.टी. इन्डस्ट्री के लिए बिहार का ईको सिस्टम काफी बेहतरीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल ने कहा कि बिहार निवेशकों का पसंदीदा राज्य बन रहा है। उद्योग विभाग द्वारा किये गये प्रयासों से उद्योग लगाना काफी आसान हो गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक नियमित तौर पर हो रही है और जमीन आवंटन भी एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जा रहा है।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमितेश कुमार सिन्हा ने कहा कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। पूरे देश में सॉफ्टवेयर इन्डस्ट्री का तेजी से विकास हुआ है और बिहार में भी इस सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएँ हैं। इससे पहले इन्वेस्टर्स मीट में उपस्थित सभी निवेशकों और कर्मचारियों को स्वागत करते हुए उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित ने कहा कि आई.टी सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है। बिहार में इस इन्डस्ट्री के ग्रोथ की असीम संभावनाएँ भी है।

◉

कोलकाता इन्वेस्टर्स मीट

बिहार में आकर्षक निवेश सुविधा उपलब्ध

बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी 2022 तथा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत निवेशकों को प्लांट एवं मशीनरी पर कुल लागत का 15 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान की व्यवस्था है। टेक्सटाईल एवं लेदर में यह अनुदान अधिकतम 10 करोड़ रूपये तथा बायोफ्यूल्स इकाइयों के लिए अधिकतम 5 करोड़ रूपये है।

कोलकाता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें निवेशकों को बिहार की औद्योगिक नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इन्वेस्टर्स मीट में बिहार के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महानिदेशक डॉ. राजीव सिंह, आई.सी.सी. टेक्सटाईल कमिटि के चेयरमैन और टी.टी. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजय जैन तथा फेन्सिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री नरेश जूनेजा सहित कोलकाता के प्रमुख उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इन्वेस्टर्स मीट में अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने उद्योगपतियों से कहा कि बिहार की श्रम सम्पदा विशाल है। यहाँ स्कील्ड और अनस्कील्ड श्रम हर जिले में उपलब्ध है। बिहार में जल संसाधनों की भी कमी नहीं है। श्रम सम्पदा तथा जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर इंडस्ट्री में निवेश के लिए सबसे बेहतरीन राज्य बन जाता है। बिहार में

जूट फाइबर के उत्पादन की भी भरपूर संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, बिहार राज्य टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी 2022, बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 तथा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन पॉलिसी 2023 बनाया गया है जिनके तहत आकर्षक प्रोत्साहन की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ के आबादी के साथ बिहार देश की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। बिहार से पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुँचना और अपने माल को पहुँचाना आसान है। बिहार के उत्पाद कम ट्रांसपोटेशन खर्च पर बांगला देश और नेपाल जैसे देशों के बाजार तक पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, भूमि सम्परिवर्तन शुल्क पर 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी 2022 तथा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत निवेशकों को संयंत्र और मशीनरी पर कुल लागत का 15 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान की व्यवस्था है। टेक्सटाईल एवं लेदर में यह अनुदान अधिकतम 10 करोड़ रूपये तथा बायोफ्यूल्स इकाइयों के लिए अधिकतम 5 करोड़ रूपये है। कर्मचारियों के कौशल संवर्द्धन के लिए 20 हजार रूपये प्रति कर्मचारी की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। उद्योग लगाने के लिए लिये जाने वाले ऋण पर 10 से 12 प्रतिशत की ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत किया गया है। ◉

बिहार क्राफ्ट फेयर

अहमदाबाद में दिखी बिहार के हस्तशिल्प कला की चमक

बिहार क्राफ्ट फेयर के माध्यम से बिहार के कलाकारों ने अहमदाबाद के लोगों के दिलों में विशेष जगह बनाई। बिहार की मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग तथा दूसरे अन्य क्राफ्ट की भूरी-भूरी प्रशंसा गुजरात वाशियों ने की।

बिहार के कुशल शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों को बेहतर मंच और बाजार देने के उद्देश्य से उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, उद्योग विभाग की ओर से गुजरात के अहमदाबाद शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन किया गया। अहमदाबाद हाट में लगाये गये इस फेयर की शुरुवात 23 जून को हुई और मेला 02 जुलाई तक चला। बिहार क्राफ्ट फेयर में बिहार के कुशल शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों द्वारा बनाये गए हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खादी की सामग्रियों की प्रदर्शनी की गई। अहमदाबाद के लोगों ने बिहार क्राफ्ट फेयर को काफी पसंद किया और मेले में जमकर खरीदारी की। मेला में लगाये गये कुल 80 स्टॉलों में बिहार के विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खादी के स्टॉल लगाए गए। अहमदाबाद के लोगों को ब्लॉक प्रिंटिंग, वेणु शिल्प, पेपर मैशी, सुत बुनाई, टेराकोटा, एप्लिक, काष्ठ खिलौना, टिकुली पेंटिंग, चर्म शिल्प, मधुबनी पेंटिंग, पाषाण शिल्प (स्टोन क्राफ्ट), मेटल क्राफ्ट, सिक्की कला, सेरामिक, गुड़िया कला, मंजूषा चित्रकला, सुजनी कला और जूट कला जैसे हस्तकलाओं के उत्पाद देखने और खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ।

अहमदाबाद के लोगों ने बिहार क्राफ्ट फेयर के बारे में कहा कि बिहार की कला को देखकर काफी अच्छा लग रहा है और इस तरह का फेयर यहाँ लगना अच्छी पहल है। यहाँ लगे सभी सामान आकर्षक और खुबसूरत होने के साथ-साथ किफ़ायती भी हैं। बिहार के शिल्पियों, बुनकरों और खादी उद्यमियों ने बताया कि उपेन्द्र महारथी संस्थान द्वारा उन्हें अहमदाबाद में अपने सामानों को प्रदर्शित करने के लिए निःशुल्क स्टॉल लगाने का मौका दिया गया है। इससे उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन और उत्पादों की बिक्री का शानदार मंच मिला है।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने अहमदाबाद हाट में लगे बिहार क्राफ्ट फेयर का भ्रमण किया। अपर मुख्य सचिव द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों से आए शिल्पियों के स्टॉल का परिभ्रमण किया गया और सभी उद्यमियों एवं शिल्पियों को प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार क्राफ्ट फेयर के आयोजन से बिहार के हुनरमंद शिल्पियों, बुनकरों और अन्य कलाकारों को बिहार के बाहर अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। साथ ही गुजरात के लोगों को बिहार की कला एवं संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला है। कुल मिलाकर उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा अहमदाबाद में आयोजित बिहार क्राफ्ट फेयर एक शानदार आयोजन रहा। ◉

खादी मेला-सह-उद्यमी बाजार

तीन मेलों से मिला खादी संस्थाओं को बल

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अप्रैल-जून 2023 की अवधि में मुजफ्फरपुर, हाजीपुर तथा भागलपुर में खादी मेला का आयोजन किया गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग की संस्थाओं को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अप्रैल-जून 2023 की अवधि में मुजफ्फरपुर, हाजीपुर तथा भागलपुर में खादी मेला का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन उद्योग विभाग के मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने किया। मुजफ्फरपुर खादी मेला-सह-उद्यमी बाजार दिनांक 08.06.2023 से 17.06.2023 तक चला जबकि हाजीपुर में खादी मेला-सह-उद्यमी बाजार दिनांक 23.06.2023 से 02.07.2023 तक लगाया गया।

भागलपुर के रेशम भवन में खादी मेला-सह-उद्यमी बाजार दिनांक 07.07.2023 से 16.07.2023 तक चला। मेला अवधि में उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पी.एम.ई.जी.पी., पी.एम.एफ.एम.ई., राज्य निवेश प्रोत्साहन तथा बिहार स्टार्ट-अप पर कार्यशालाओं का आयोजन कर उद्यमियों का मार्गदर्शन किया गया।

भागलपुर खादी मेला-सह-उद्यमी बाजार का उद्घाटन करने के उपरान्त उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि भागलपुर का रेशम उद्योग अंतरराष्ट्रीय पहचान रखता है। यहां का रेशम सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक जाता है। रेशम उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की मदद मिलेगी। खादी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी का आंदोलन चलाया था तो घर-घर में चरखा चलाने का काम हुआ। चरखा और खादी से जो ताकत मिली उसी ताकत के बल पर देश आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि ढाका का मलमल और भागलपुर का रेशम हर जगह जाना जाता है। प्रदेश के लाखों लोग रेशम, खादी और ग्रामोद्योग से रोजगार पाते हैं। खादी और कुटीर उद्योगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

बिहार सरकार हर युवा को रोजगार देने के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लगभग 29000 उद्यमियों को 2006 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। रू. 10-10 लाख रुपए की सहायता पाकर बिहार के युवा न सिर्फ अपने लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं बल्कि दर्जनों दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उद्यमियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कलस्टर योजना पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चार-चार लाख रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाती है। जिन लोगों ने प्रथम किस्त का उपयोग कर लिया उन्हें दूसरा किस्त भी दे दिया गया है और दूसरे किस्त की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र देने वाले उद्यमियों को तीसरा किस्त भी दे दिया गया है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पिछले 8 महीनों में हजारों नए उद्योग खुल चुके हैं। हर उद्योग में 5 से 10 लोगों को रोजगार मिला है। बिहार में ही उद्योग लगाएं और अपने गांव समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। उद्योग विभाग की हर योजना का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हों। खादी मेला और हैंडलूम मेला लगा कर उन्हें मार्केटिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा खादी मॉल के माध्यम से मार्केटिंग में मदद दी जाएगी। उन्होंने युवा उद्यमियों से कहा कि उद्योग के लिए मिलने वाले ऋण को खैरात नहीं समझे। योजना चाहे जो भी हो, सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए करें।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि प्रदेश की सभी खादी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा सहायता दी जा रही है। भागलपुर का खादी मेला भी एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से खादी वस्त्र के उत्पादकों को बाजार मुहैया कराया जा रहा है।

◉

समर कैम्प

बिहार की लोक कलाओं के उस्ताद बने बच्चे

हस्तशिल्प में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा हस्तशिल्प का निःशुल्क समर-कैम्प का आयोजन जून महीने में किया गया। इस समर-कैम्प में कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों ने भाग लिया। यह समर-कैम्प पूरी तरह निःशुल्क रहा और बच्चों को कला सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी। संस्थान के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि कला और हस्तशिल्प में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए यह समर-कैम्प आयोजित किया जाता है और यह समर-कैम्प बच्चों के लिए काफी रोचक होता है। इस समर-कैम्प से बच्चों को बिहार के हस्तशिल्प के बारे में जानकारी दी जाती है और बिहार की पारंपरिक कलाओं से बच्चों को परिचित कराने में यह कैम्प काफी मददगार भी होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ कौशल विकास होना भी जरूरी है।

समर कैम्प के अंत में प्रत्येक शिल्प में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चयनित छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसके लिए उपेन्द्र महारथी संस्थान में समापन एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें उद्योग विभाग के मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए और उनके द्वारा समर-कैम्प में भाग लिए बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया। उद्योग मंत्री ने बच्चों द्वारा बनायी गयी विभिन्न कलाकृतियों को देखा और काफी प्रभावित हुए। उद्योग मंत्री ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस तरह का समर-कैम्प का आयोजन बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि बिहार में कला और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और यहाँ के बच्चे काफी प्रतिभावान हैं। निश्चित रूप से ये बच्चे भविष्य में अपना, बिहार का और देश का नाम रोशन करेंगे और हस्तकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। बच्चे देश के भविष्य हैं। समर कैंप में जो बच्चे आज कला का एबीसी सीख रहे हैं वही भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी बनेंगे। उन्होंने ने कहा कि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा हस्तशिल्प में निःशुल्क समर-कैम्प का आयोजन करना बहुत ही अच्छी पहल है। इसे हर साल आयोजित किया जाता है, यह और भी अच्छी बात है। इससे स्कूली बच्चे इसमें भाग लेकर बिहार के हस्तशिल्प कला और उसके बारे में जानेंगे और हस्तकला में रुचि जगाएंगे।

समर-कैम्प में 700 बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न कलाओं को जाना। इसमें बच्चों को हस्तशिल्प के 7 विधा में प्रशिक्षण दिया गया इनमें पेपरमैशी, मंजूषा पेंटिंग, टेराकोटा, टिकुली कला, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला, जूट-ज्वेलरी का प्रशिक्षण में शामिल रहा। बच्चों को ललित कला का भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें प्रशिक्षण के साथ नए डिजाइनों की जानकारी भी दी गई। समर-कैम्प प्रशिक्षण कार्यक्रम पंद्रह प्रशिक्षकों की देख-रेख में सम्पन्न हुआ। ◉

सक्सेस स्टोरी

स्टील फर्निचर उद्योग में मिली सफलता

धनन्जय सिन्हा

इन्टरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद धनन्जय सिन्हा बेरोजगार युवकों की श्रेणी में शामिल हो गये थे। लेकिन मन में चाहत थी उद्यमी बनने की। जब उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानकारी हासिल हुई तो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनका चयन हुआ और उद्योग विभाग की ओर से उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 9.73 लाख रूपये की सहायता राशि उद्योग विभाग से दी गई और रिचा स्टोरवेल के नाम से उन्होंने शेखपुरा जिले के अपने भोजीडीह गाँव में ही उत्पादन इकाई प्रारंभ की। स्टील के फर्निचर, आलमीरा और ट्रंक बॉक्स बनाने का उनका काम चल निकला। अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करके वह ग्राहकों का विश्वास जीतने में सफल हुए। हर महीने उनकी बिक्री बढ़ रही है। शुरू में उन्होंने दो लोगों को रोजगार दिया था। जब बिक्री बढ़ी तो एक और व्यक्ति को काम पर रख लिया। इस तरह उनकी यूनिट में चार लोगों को रोजगार मिला। उनके हौसले बुलंद है और वह अपनी यूनिट का आकार बड़ा करते हुए और लोगों को रोजगार पर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से मिली सहायता के कारण ही उनके सपने हकीकत में तब्दील हुए और वह तीन दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सफल रहे।

रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री से मिली कामयाबी

राम राघव कुमार

शेखपुरा जिले के राम राघव कुमार ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवाजी विश्वविद्यालय से बी.टेक की पढ़ाई की। निजी कम्पनी में कर्मचारी के रूप में काम करना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने स्वयं की फैक्ट्री लगाने का संकल्प लेते हुए गाँव का रूख किया। गाँव आकर उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र की मदद से पी.एम.ई.जी.पी. योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक से 16 लाख रूपये का लोन लिया और सासा कलेक्शन ओ.पी.सी. प्रा. लि. कम्पनी की स्थापना की। इनकी यूनिट में रेडीमेड वस्त्र बनाये जाते हैं।

प्रोडक्शन यूनिट में दो दर्जन से अधिक मशीने लगी हुई हैं और वहाँ 18 महिला कर्मचारी तथा 22 पुरूष कर्मचारी अलग-अलग क्षेत्रें में काम करते हैं। उनकी रेडीमेड इकाई में बने हुए प्रोडक्ट शेखपुरा सहित बिहार के दूसरे जिलों और कोलकाता के बाजार में बेचे जाते हैं। राम राघव कुमार के इरादे बुलंद है। उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केन्द्र के मदद के कारण ही वह इतना आगे बढ़ पाये हैं। भविष्य में अपनी यूनिट को और बड़ा करेंगे, और लोगों को रोजगार देंगे।

Consul General Dr. T.V. Nagendra Prasad welcomed Shri Samir Kumar Mahaseth, Hon'ble Minister of Industries, Government of Bihar and his team in Siliconvalley to promote investments in Bihar. A presentation on opportunities in various sectors by Shri Sandeep Poundrik, Additional Chief Secretary Industries, Government of Bihar for investments and collaboration was well received.

Bihar is now charting a new path. With its participation at TexWorld Evolution NYC, USA, the state is showcasing its products to the sourcing world, and making a statement that it is ready to take its place on the global stage.

A team from the Department of Industries, Government of Bihar, met with Mr. Young Liu, Chairman of Foxconn, one of the world's largest electronics manufacturers. The team had a productive discussion and presented Bihar as an attractive investment destination for Foxconn.

The Department of Industries, led by the Minister of Industries Sri Samir Kumar Mahaseth and Additional Chief Secretary Sri Sandeep Poundrik, met Sri Anil Agarwal, Chairman of the Vedanta Group, for a productive discussion on the possibility of Vedanta's investment in Bihar.

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

दूसरी मंजिल, विकास भवन, पटना, www.industries.bih.nic.in | www.udyog.bihar.gov.in

टॉल फ्री नं : 1800 345 6214

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के द्वारा प्रकाशित एवं ज्ञान गंगा क्रियेशन्स, पटना द्वारा मुद्रित
वर्ष 5, अंक–12, अप्रैल–जून, 2023 ● संपादक : दिलीप कुमार